भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2562

दिनांक 4 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

किशोर निरीक्षण गृह

2562. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल :

श्री दुर्गा दास उइके :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किशोर निरीक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को अनुदान प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किशोर निरीक्षण गृह के बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मध्य प्रदेश के किन जिलों में जिले-वार शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2021 में यथा संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) का प्रशासन कर रही है जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विधि है। यह अधिनियम देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले लोगों की देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार और सामाजिक पुन: एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करके सुरक्षा प्रदान करता है। जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। जेजे अधिनियम, 2015 में

अधिदेशित है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में, स्वयं या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से इस अधिनियम के तहत देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे या विधि के साथ संघर्ष में किसी भी बच्चे की देखभाल और पुनर्वास के लिए बाल देखभाल संस्थान की स्थापना करेगी।

यह मंत्रालय देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि के साथ संघर्ष में बच्चों (सीसीएल) के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सहायता करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य तथ्यों के साथ-साथ आयु-अनुरूप शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श का समर्थन करते हैं। मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ अनुवर्तन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीसीआई किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा-संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार देखभाल के मानकों का पालन करें। सभी सीसीआई के अनिवार्य निरीक्षण के संबंध में सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को विभिन्न एडवाइजरी भेजी गई हैं। 31.03.2023 तक 2305 सीसीआई में मिशन वात्सल्य योजना के तहत 57940 बच्चों को सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 884.76 करोड़ रुपये जारी किए गए। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, बाल अधिकारों, बच्चों के कल्याण और संरक्षण, एडवोकेसी और आईईसी के संबंध में जागरूकता सृजन सहित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना का बजट आवंटन 1472.17 करोड़ रुपये है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है।

(ग) : विगत तीन वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश को जारी की गई राशि क्रमशः 3531.26 लाख रुपये, 3057.44 लाख रुपये और 4690.78 लाख रुपये है।

(घ) से (ङ) : सीसीआई में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए शिक्षक, कला और शिल्प सह संगीत शिक्षक और पीटी प्रशिक्षक सह योग प्रशिक्षक के पदों के लिए नियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

*****